तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.11.23	वाद का प्रस्तुतिकरण ... अधिकारी राजस्व ... है / पत्रावली ... कोर्ट से प्राप्त ... अतः पत्रावली दिनांक 16.5.24 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
16.5.24	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित बहस कायम मुकाम प्रतिवादी सं.1 पर सुनी गयी, जो पहले दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.1 की मृत्यु होने की सूचना न्यायालय रेकार्ड पर दिनांक 11.2.22 पर दी गई थी, जिसे आज दिनांक तक 2 वर्ष 3 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वकील वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं.1 के कायम मुकाम के सम्बन्ध में कोई प्रा.पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया गया। अतः वादीगण का वादपत्र अबेट फरमाया जावे। बहस वकील वादी ने प्रतिवादी सं.1 के कायम मुकाम के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं प्रतिवादी की आपत्ति सही बताया। अतः उपरोक्त अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों पर मनन किया प्रतिवादी सं.1 के फौत होने का अंकन न्यायालय पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.2.22 पर है। वकील वादीगण द्वारा दिनांक 11.2.22 से आज दिनांक तक प्रतिवादी सं.1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु कायम मुकाम का कोई प्रा.पत्र पेश नहीं किया जब कि मृत्यु की सूचना दिनांक से 90 दिन में कायम मुकाम का प्रा.पत्र पेश करने का प्रावधान है। वकील वादीगण द्वारा [illegible] माह अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी प्रतिवादी [illegible] वारिसान के संबंध में कोई कायम मु[illegible] नहीं किया। ना ही कोई विधिक कार्यवाही का प्रा.पत्र पेश नहीं किया। प्रतिवादी सं.1 संयुक्त खातेदार होने से उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र अबेट किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:44:12 IST
Reason: SelfAttested